उदयपुर

19-8-19

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकिल उपस्थित हुये। अप्रार्थी अनुपस्थित है। अप्रार्थी की ओर से वकालत पत्र पेश नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण को तीन बार आवाज लगवाई गई, फिर भी अनुपस्थित है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की पुश्तैनी भूमि है और प्रार्थी के खातेदारी भूमि है उसको एक वाद अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act के तहत न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने एवं एक तरफा बहस पर मनन कर मद

:: निरन्तर ::

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तालीम मे जारी हुए

आदेश किया जाता है कि अप्रार्थीगण सं. 1 मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के कब्जे की वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कब्जा नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावे। वादग्रस्त भूमि की स्थिति यथावत बनाये रखें। अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक जारिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है। पत्रावली कैलाश कुमार होकर नम्बर से कम होवे तथा मूल वाद पत्र के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा जि उदयपुर